न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः–हनुमानसिंह राठौड, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः– 20/2019
प्रार्थी :–

शिवलाल उर्फ सीमाराम पुत्र श्री गोरूरामजी जाति घांची आयु 80 वर्ष निवासी उदयमन्दिर, जोधपुर हाल निवास घांचियों का बास, महामन्दिर, जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मांगीलाल पुत्र श्री गोरूरामजी जाति घांची आयु 84 वर्ष निवासी महामन्दिर उदयमन्दिर, जोधपुर हाल निवास घांचियों का बास, महामन्दिर, जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 (एक सौ छत्तीस) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (उन्नीस सौ छप्पन) सपठित धारा 151 (एक सौ इकावन) सिविल प्रक्रिया संहिता।

आदेश दिनांक :– 20.01.2020

उपस्थितिः–1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री जयदेवसिंह चारण
2 अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता गोविंदसिंह राठौड
3 अप्रार्थी संख्या 2 की और से सरकारी पैरोकार

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं :–

1. यह है कि प्रार्थी शिवलाल उर्फ सीमाराम व अप्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल आपस में सगे भाई है तथा इनकी संयुक्त रेकर्डड खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 111 (एक सौ ईग्यारह) रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा (चौबीस बीघा पन्द्रह बिस्वा) किस्म बा. 1 एक गांव खोखरिया तहसील जोधपुर में स्थित है जिसके प्रमाण में जमाबंदी संख्या 149 (एक सौ गुणपचास) गांव खोखरिया सम्वत 2059 से 2062 (दो हजार गुणसाठ से दो हजार बासठ) तक की प्रमाणित प्रतिलिपि इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं।
2. यह है कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड नामांतरकरण संख्या 78 (इठतर) गांव खोखरिया, सन् 1975 (उन्नी सौ पिचतर) तहसील जोधपुर के माध्यम से नाम सीमाराम वर्णित किया हुआ है, यह नामांतरकरण प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के पिता श्री गोरूराम पुत्र श्री हरीराम के स्वर्गवास होने पर ग्राम पंचायत सुरपुरा द्वारा स्वीकृत किया गया हैं। उक्त नामांतरकरण स्वीकृत होने के समय से आज दिन तक यानि वर्तमान तक समस्त राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम सीमाराम ही वर्णित हैं। प्रमाण में उक्त नामांतरकरण संख्या 78 (इठतर) गांव खोखरिया, जमाबन्दी संख्या 74

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

Scanned by CamScanner

(चौवोतर) गांव खोखरिया सम्वत 2034 से 2037 (दो हजार चौतीस से दो हजार सैतीस) तक, जमाबंदी संख्या 128 (एक सौ अठाईस) सम्वत 2055 से 2058 (दो हजार पंचपन से दो हजार अठावन) तक की प्रमाणित प्रतिलिपि इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न पेश हैं। उपरोक्त वर्णित दस्तावेजात के आधार पर प्रमाणित है कि प्रार्थी का शुरू से ही नाम सीमाराम भी हैं।

3. यह है कि भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 8958 9936 2826, आयकर विभाग का पेन नम्बर **BLRPP7695B,** राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशनकार्ड संख्या 00321 महामन्दिर, जोधपुर में एवम् राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, जयपुर की सर्विस से सेवानिवृत होने से सम्बन्धित पेंशन पेंमेंट आर्डर से सम्बन्धित दिनांक 05.09.1990 (पांच सितम्बर उन्नीस सौ नब्बे) का प्रमाणपत्र वगैरा से शुरू से आज दिन तक यानि वर्तमान तक प्रार्थी का नाम शिवलाल वर्णित हैं। इस पद में वर्णित समस्त दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न हैं।
4. यह है कि प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के बीच इस कृषि भूमि के अलावा दोनों की अन्य संयुक्त अचल सम्पत्ति मकान व बाडा वगैरा का रजिस्टर्ड पारिवारिक समझौता से लिखित व हस्ताक्षरित बंटवाडा दिनांक 18.09.1961 (अठारह सितम्बर उन्नीस सौ इकसठ) का दिनांक 11.12.1961 (ईग्यारस दिसम्बर उन्नीस सौ इकसठ) को पंजीबद्ध हुआ हैं, जिसमें प्रार्थी का नाम शिवलाल पुत्र श्री गोरूराम वर्णित हैं।
5. यह हे कि उपरोक्त पदो में वर्णित विवरण, तथ्यों से दस्तावेजो से प्रथम दृष्टया पूर्ण रूप से प्रमाणित हैं कि प्रार्थी को शिवलाल पुत्र श्री गोरूराम तथा सीमाराम पुत्र श्री गोरूराम दोनों ही नामों से पुकारा जाता है व पहचाना जाता हैं। इस प्रकार प्रमाणित है कि शुरू से ही प्रार्थी का नाम शिवलाल उर्फ सीमाराम ही हैं।
6. यह है कि राजस्थान सरकार को भूमिधारी होने के नाते जरिये तहसीलदार जोधपुर को नियमानुसार पक्षकार बनाये जाने की वजह से इस प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) पक्षकार बनाया गया हैं किन्तु वर्तमान मूल राजस्व रेकर्ड में नाम संशोधित कर शिवलाल उर्फ सीमाराम दर्ज करवाने से सम्बन्धित ही अनुतोष चाहा हैं, इसके अलावा अन्य कोई अनुतोष अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के विरूद्ध नही चाहा हैं।

अतः प्रार्थी की तरफ से निवेदन है कि इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 (एक) में वर्णित खसरा नम्बर 111 (एक सौ ईग्यारह) रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा (चौबीस बीघा पन्द्रह बिस्वा) किस्म बा. 1 (एक) गांव खोखरिया तहसील जोधपुर में स्थित कृषि भूमि से सम्बन्धित वर्तमान राजस्व रेकर्ड में संशोधन कर शिवलाल उर्फ सीमाराम का नाम दर्ज किया जाने का आदेश फरमाया जावे तथा अन्य अनुतोष जो प्रार्थी के पक्ष में हो, फरमाया जावें।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी संख्या 01. की ओर जवाब प्राप्त हुआ है जो इस प्रकार हैं :–

1. यह है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 (एक) का जवाब निम्न है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 (एक) में वर्णित तथ्य सत्य है व स्वीकार हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

Scanned by CamScanner

2. यह है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 (दो) का जवाब निम्न है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 दो वर्णित तथ्य सत्य है व स्वीकार हैं।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 (तीन) का जवाब निम्न है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या (3) में वर्णित तथ्य सत्य है व स्वीकार हैं।
4. यह है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 (चार) का जवाब निम्न है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 (चार) में वर्णित तथ्य सत्य है व स्वीकार हैं।
5. यह है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 (पांच) का जवाब निम्न है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 (पांच) में वर्णित तथ्य सत्य है व स्वीकार है।
6. यह है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 6 (छः) का जवाब निम्न है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 6 में वर्णित तथ्य सत्य है व स्वीकार हैं।

अंत में अपने जवाब में बताया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से सही है तथा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावें। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब प्राप्त हुआ अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम खोखरिया की वर्तमान की जमाबंदी सम्वत् 2059–2062 के खाते संख्या 149 में खसरा संख्या 111 रकबा 24.15 बीघा किस्म बारानी अवल मांगीलाल, सीमाराम पुत्र श्री गोरूराम जाति घांची जरिये नामांतरकरण संख्या 78 जो विरासत का दायर किया गया हैं के जरिये नाम दर्ज हुई हैं। शेष तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये अपनी बहस की ।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली प्रार्थना पत्र ,जवाब प्रार्थना पत्र वकुलाय द्वारा की गई बहस एवम् बहस के दौरान पेश किये गये कानूनी उद्वरण का अवलोकन किया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जोधपुर को आदेश दिया जाता हैं कि गांव खोखरिया के खसरा नम्बर 111 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारामी प्रथम में स्थित कृषि भुमि में सम्बन्धित वर्तमान राजस्व रेकर्ड संशोधन किया जाकर शिवलाल उर्फ सीमाराम का नाम जमाबंदी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 20.1.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2020.01.22 17:11:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: